रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3 – Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1979/श्रावण 19, 1901
No. 253] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1979/SRAVANA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 478 (अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसार, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त बोर्ड कहा गया है) के निम्नलिखित सदस्य अपने नामांकन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, उक्त बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए हैं—

1. श्री एन० सी० कृष्णमूर्ति, सलाहकार, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. डा० के० पी० भार्गव, आचार्य तथा औषधि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
3. डा० एस० के० कपूर, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ।
4. अपर निदेशक, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ।
5. कृषि निदेशक, गुजरात, अहमदाबाद ।
6. कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।
7. डा० जी०एस० कालकट, कृषि आयुक्त, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड ।
9. डा० एच० एस० वार्मा, निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
10. डा० पी०के० दत्त सह० आचार्य, अवरसायन तथा पोषाहार, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक आरोग्यता संस्थान, कलकत्ता
11. निदेशक, केन्द्रीय लोक आरोग्यता इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (14) के अनुसरण में श्री एन० सी० कृष्णमूर्ति, सलाहकार, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्थान पर परियोजना अधिकारी, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (रसायन तथा उर्वरक विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (15) के अनुसरण में एतद्द्वारा डा०के०पी० भार्गव, आचार्य तथा औषधि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थान पर आचार्य तथा औषधि विज्ञान के अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) और (4) के खण्ड (16) के अनुसरण में उप निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (17) के अनुसरण में, अपर निदेशक, चिकित्सा और

स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के स्थान पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती हैं ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (18) के अनुसरण में, कृषि निदेशक, गुजरात तथा कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल पर क्रमशः कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश और कृषि निदेशक, आन्ध्र प्रदेश को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) और (4) के खण्ड (19) के अनुसरण में निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली तथा सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड को पुनः उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (19) के अनुसरण में, डा० जी० एस० कालकट, भूतपूर्व कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा डा० पी० के० दत्त सह आचार्य जैव रसायन तथा पोषाहार, अखिल भारतीय आरोग्यता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के स्थान पर क्रमशः कृषि आयुक्त, भारत सरकार कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली तथा निदेशक, औद्योगिक विष वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (20) के अनुसरण में निदेशक, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर के स्थान पर डा०आर० बी० मिश्र, वैज्ञानिक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के खण्ड (21) के अनुसरण में, पर्यावरण अधिकारी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली को उक्त बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 301, दिनांक 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "नामनिर्दिष्ट सदस्य" शीर्ष के अधीन मद सं० (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) तथा (21) और इनसे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:—

(14) परियोजना अधिकारी, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (रसायन तथा उर्वरक विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(15) आचार्य तथा औषधि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

(16) चिकित्सा विद विज्ञानी, उप निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ।

(17) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

(18) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश
कृषि निदेशक, आन्ध्र प्रदेश ।

(19) कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।
निदेशक, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ।
—सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय एन० एच० 4, फरीदाबाद ।
—निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(20) डा० आर०बी० मिश्र, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ।

(21) पर्यावरण अधिकारी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली ।
—संयुक्त सचिव भारत सरकार

[फा०सं० 19/27/77-पी०पी०एस०]

एस० जे० एस० सोंढी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1979

G.S.R. 478(E). Whereas in accordance with sub-section (4) of section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act), the following members of the Central Insecticides Board (hereinafter referred to as the said Board) have ceased to be the members of the said Board on the expiry of 3 years from the date of their nomination :—

1. Shri N. C. Krishnamurthy, Adviser, Ministry of Petroleum and Chemicals, Government of India, New Delhi.
2. Dr. K. P. Bhargava, Professor and Head of the Department of Pharmacology, K. G. Medical College, Lucknow.
3. Dr. S. K. Kashyap, Assistant Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.
4. Additional Director of Medical and Health Services (Public Health), Andhra Pradesh, Hyderabad.
5. Director of Agriculture, Gujarat, Ahmedabad.
6. Director of Agriculture, West Bengal, Calcutta.
7. Dr. G. S. Kalkat, Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), Government of India, New Delhi.
8. Secretary, Central Insecticides Board.
9. Dr. H. L. Bami, Director, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
10. Dr. P. K. Dutta, Associate Professor, Biochemistry and Nutrition, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
11. Director, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur.

And whereas in pursuance of clause (xiv) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Project Officer in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers), Government of India, New Delhi, as a Member of the said Board, vice Shri N. C. Krishnamurthy, Adviser, Ministry of Petroleum and Chemicals, Government of India, New Delhi ;

And whereas in pursuance of clause (xv) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates Professor and Head of the Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, as a Member of the said Board, vice Dr. K. P. Bhargava, Professor and Head of the Department of Pharmacology, K. G. Medical College, Lucknow ;

And whereas in pursuance of clause (xvi) of sub-sections (3) and (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates Deputy Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad, as a member of the said Board ;

And whereas in pursuance of clause (xvii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Director of Health Services, Delhi Administration, Delhi, as a Member of the said Board vice Additional Director, of Medical and Health Services (Public Health), Andhra Pradesh, Hyderabad;

And whereas in pursuance of clause (xviii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Director of Agriculture, Uttar Pradesh and the Director of Agriculture, Andhra Pradesh, as members of the said Board, vice the Dirtctor of Agriculture, Gujarat and the Director of Agriculture, West Bengal, respectively;

And whereas in pursuance of clause (xix) of sub-sections (3) and (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby renominates the Director, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi, and Secretary, Central Insecticides Board, as members of the said Board;

And whereas in pursuance of clause (xix) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Agriculture Commissioner to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi, and the Director, Industrial Toxicological Research Centre, Lucknow, as members of the said Board vice Dr. G. S. Ikat, formei Agricu'ture Commissioner, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi, and Dr. P. K. Dutta, Associate Professor, Biochemistry and Nutrition, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, respectively;

And whereas in pursuance of clause (xx) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates Dr. R. B. Mitra, Scientist, National Chemical Laboratory, Pune, as a member of the said Board, vice Director, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur;

And whereas in pursuance of clause (xxi) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Environmental Officer in the Department of Science and Technology, New Delhi, as a member of the said Board;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, as follows:—

In the said notification, under the heading "Members Nominated", for items (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) and (xxi) and the entries relating thereto, the following items and entries shall respectively be substituted:—

"(xiv) Project Officer in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers), Government of India, New Delhi;

(xv) Professor and Head of Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi;

(xvi) Medical Toxicologist-Deputy Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad;

(xvii) Director of Health Services, Delhi Administration, Delhi;

(xviii) Director of Agriculture, Uttar Pradesh; Director of Agriculture, Andhra Pradesh;

(xix) Agriculture Commissioner to the Government of India;

Director, Industrial Toxicological Research Centre, Lucknow;

Secretary, Central Insecticides Board, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, N.H. IV, Faridabad;

Director, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi;

(xx) Dr. R. B. Mitra, Scientist, National Chemical Laboratory, Pune;

(xxi) Environmental Officer in the Department of Science and Technology, New Delhi."

[F. No. 19/27/77-PPS]

A. J. S. SODHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1979